

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय-आदेश:—

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	विदेश जाने का स्थान व तिथि
1	SWATI JOSHI, GSSS FATEHNAGAR NEAR ROADWAYS BUS STAND WARD NO. 19 (223141), MAVLI, UDAIPUR (RJCT199911004723)	Geography	01.11.1974	CANADA / TORONTO 01.06.2023 से 15.07.2023 तक कुल दिवस - 45 दिवस
2	KANIZA BANU, SETH MUKANCHAND BALIYA GSSSS PALI (221485), PALI (RJPA200029002127)	Urdu Literature	15.08.1971	SAUDI ARAB 21.05.2023 से 15.07.2023 कुल दिवस - 55 दिवस
3	MALIKA PALI, GSSSS AMBAMATA (223317) GIRWA, UDAIPUR (RJUD200037000400)	Urdu Literature	21.07.1964	KUWAIT 21.05.2023 से 31.07.2023 कुल दिवस - 76 दिवस
4	GHANSHYAM THARWANI, GSSS SINDHI DELHIGATE AJMER (221868) AJMER (U), AJMER (RJAJ201101016405)	Sindhi Literature	18.08.1980	DUBAI UAE 02.06.2023 से 07.06.2023 कुल दिवस - 6 दिवस
5	NEETU TOTALDAS, GSSSS CENTRAL PURANI MANDI (221876) AJMER (U), AJMER (RJAJ201101016406)	Sindhi Literature	02.03.1978	UAE (DUBAI) 02.06.2023 से 07.06.2023 कुल दिवस - 6 दिवस

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्त पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे:-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas

Designation : Joint Director Personnel

Date: 2023.05.18 08:14:29 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3861501



10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 18/05/2023

क्रमांक:- शिविरा/सा/संस्था/सी-5/विदेश अनुज्ञा/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. संबंधित संस्थाप्रधान, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें, साथ ही यह सुनिश्चित करें की विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.05.18 08:14:29 IST
Reason: Approved

11111111111111111111



6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में उठरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 18/05/23

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/रावि/विदेश-यात्रा/2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.05.17 17:52:51 IST
Reason: Approved